न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

...ना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
.../23	136 LR Act	कोटडी सूण्डा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामकल्याण वगै0	बनाम	राजस्थान सरकार

...ल :– श्री हेमराज बैरवा एड0 **आदेश पत्रक** वकील:–

...नांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
05.09.2023	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.11.2023 को पेश हो।	
2-11-23	पीठासीन अधिकारी राजस्व [illegible] के कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 20-12-23 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
20-12-23	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों के कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 6-2-24 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
6-2-24	पीठासीन अधिकारी वकीलों की हड़ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-3-24 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
21-3-24	पीठासीन अधिकारी लोक सभा चुनाव में रहने से पूर्ववत दिनांक 14-5-24 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
14-5-24	पीठासीन अधिकारी अवकाश [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-7-24 को प्रस्तुत हो. रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
30-12-24	पत्रावली आज मेरे समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उप0। पैरोकार सरकार से जवाब/रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब/रिपोर्ट दिनांक 19-2-25 को पेश हो।	

19-2-25	पीठासीन अधिकारी अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 21-4-25 को प्रस्तुत हो। उपखण्ड अधिकारी बारां
21-4-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील डाबी एवं पेशकार तहसील उप०। पेशकार तहसील से रिपोर्ट अप्राप्त। TDR बारां को पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 28-5-25 को पेश हो।
28/5/25	फाइल पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार तहसीलदार उप०। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट प्राप्त। संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन वकील प्रार्थी व पेशकार सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० हा० किया गया। पारित निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बाराँ

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

...करण संख्या :– 78/23
दायरा दिनांक :– 05.09.2023
निर्णय दिनांक :– 28/5/2025

उनवान

1. रामकल्याण आयु 48 वर्ष श्री लटूर लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बेवडिया तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कल्याणी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री श्री लटूर लाल पत्नि श्री धनश्याम जाति गुर्जर निवासी बेवडिया हाल निवासी कोटडी सुण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. मोडी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री श्री लटूर लाल पत्नि श्री छीतरलाल जाति गुर्जर निवासी बेवडिया हाल निवासी मियाडा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. रामकरण मृतक

4/1 मुकेश आयु 35 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी बेवडिया तहसील बारां जिला बारां

4/2 रामसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी बेवडिया तहसील बारां जिला बारां

प्रार्थीगण–

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक :– 28/5/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हेमराज बैरवा एडवोकेट – प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम कोटडी सूण्डा भूअभिलेख क्षेत्र कोयला तहसील बारां जिला बारां में आराजियात खाता संख्या वर्तमान 372 पुराना 357 की खसरा नं0 33 रकबा 0.60 हे0 किस्म बरानी द्वितीय लगानी 4.20 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 हे0 स्थित है। जो बखाता लडडू लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर सा0 देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा इसी प्रकार वाके माल ग्राम कोटडी सूण्डा पटवार हल्का कोटडी सूण्डा भूअभिलेख क्षेत्र कोयला तहसील बारां जिला बारां में आराजियात खाता संख्या वर्तमान 369 पुराना 354 की खसरा नं0 11 रकबा 1.84 हे0 किस्म बरानी द्वितीय लगानी 12.88 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1.84 हे0 स्थित है जो बखाता लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर सां0 देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता/दादाजी श्री लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया तहसील बारां जिला बारां का दिनांक 23.06.2016 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी क्रम 1 ता 3 व प्रार्थी क्रम

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

1 व 4/2 के पिता श्री रामकरण पुत्र श्री लटूर लाल जाति गुर्जर निवासी बेवडिया का भी नांक 23.01.2012 को स्वर्गवास हो चुका है तथा मृतक लटूर लाल के प्रार्थीगण ही वैध ारिसान व उत्तराधिकारीगण है। उक्त आराजियात में प्रार्थी क्रम 1 ता 3 का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 व प्रार्थी क्रम 4/1 व 4/2 का हिस्सा 1/4 निहित है। प्रार्थीगण के पिता/दादाजी श्री लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया तहसील बारां का नाम जमाबन्दी सं0 2038–2057 की जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थीगण के पिता/दादाजी का नाम लड्डू पुत्र श्री लाला व लटूर पुत्र श्री डाल्या गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीगण के पिता/दादाजी का वास्तविक नाम लटूर पुत्र श्री लाला है। इसलिये न्यायहित प्रार्थीगण के पिता/दादाजी का नाम लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता व दादाजी के मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड व राशन कार्ड मे भी प्रार्थीगण के पिता/दादाजी का नाम लटूर लाल पुत्र श्री लाला दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थीगण पिता/दादाजी का नाम लटूर पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी सा0 देह दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता दादाजी का नाम लड्डू पुत्र श्री लाला व लटूर पुत्र श्री डाल्या के स्थान पर लटूर पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाने की कृपा करें कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वह वादी को प्रतिवादी से दिलवायी जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत 2071–74, खाता संख्या नया 369 पुराना 354, नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत 2071–74, खाता संख्या नया 372 पुराना 357, नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत 2038–2057, नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत 2031–2034, नकल प्रमाणित जमाबन्दी सेटलमेन्ट ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत 2038–2057, मृत्यु प्रमाण पत्र लटूर लाल, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकरण, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम कोटडी सूण्डा भूअभिलेख क्षैत्र कोयला तहसील बारां जिला बारां में आराजियात खाता संख्या वर्तमान 372 पुराना 357 की खसरा नं0 33 रकबा 0.60 हे0, स्थित है। जो बखाता लड्डू लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर सा0 देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा इसी प्रकार वाके माल ग्राम कोटडी सूण्डा पटवार हल्का कोटडी सूण्डा भूअभिलेख क्षैत्र कोयला तहसील बारां जिला बारां में आराजियात खाता संख्या वर्तमान 369 पुराना 354 की खसरा नं0 11 रकबा 1.84 हे0 किस्म बरानी द्वितीय लगानी 12.88 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1.84 हे0 स्थित है जो बखाता लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर सां0 देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता/दादाजी श्री लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया तहसील बारां जिला बारां का दिनांक 23.06.2016 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी क्रम 1 ता 3 व प्रार्थी क्रम 4/1 व 4/2 के पिता श्री रामकरण पुत्र श्री लटूर लाल जाति गुर्जर निवासी बेवडिया का भी दिनांक 23.01.2012 को

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

वास हो चुका है तथा मृतक लटूर लाल के प्रार्थीगण ही वैध वारिसान व उत्तराधिकारीगण उक्त आराजियात में प्रार्थी क्रम 1 ता 3 का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 व प्रार्थी क्रम 4/1 व 4/2 का हिस्सा 1/4 निहित है। प्रार्थीगण के पिता/दादाजी श्री लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया तहसील बारां का नाम जमाबन्दी सं0 2038–2057 की जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थीगण के पिता/दादाजी का नाम लडडू पुत्र श्री लाला व लटूर पुत्र श्री डाल्या गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीगण के पिता/दादाजी का वास्तविक नाम लटूर पुत्र श्री लाला है। इसलिये न्यायहित प्रार्थीगण के पिता/दादाजी का नाम लटूर लाल पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता व दादाजी के मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड व राशन कार्ड मे भी प्रार्थीगण के पिता/दादाजी का नाम लटूर लाल पुत्र श्री लाला दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थीगण पिता/दादाजी का नाम लटूर पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी सा0 देह दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता दादाजी का नाम लडडू पुत्र श्री लाला व लटूर पुत्र श्री डाल्या के स्थान पर लटूर पुत्र श्री लाला जाति गुर्जर निवासी बेवडिया दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–74 राजस्व ग्राम कोटडी सूण्डा के वर्तमान खाता संख्या 369 खसरा नं0 11 रकबा 1.84 हे0, लटूर पुत्र डाल्या हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज है एवं जमाबन्दी खाता संख्या 372 खसरा नं0 33 रकबा 0.60 हे0, में लडडू पुत्र लाला हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पैंशन प्रमाण पत्र में खातेदार का नाम लटूरलाल पुत्र लालजी जाति गुर्जर दर्ज है। ग्रामवासियों द्वारा भी मृतक खातेदार का नाम लटूरलाल पुत्र लालजी बताया गया है। अतः राजस्व ग्राम कोटडी सूण्डा के वर्तमान खाता संख्या 369 खसरा नं0 11 रकबा 1.84 हे0, एवं खाता संख्या 372 किता 1 रकबा 0.60 हे0, पर खातेदार का नाम लटूर पुत्र डाल्या एवं लडडू पुत्र लाला के स्थान पर लटूरलाल पुत्र लालजी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कोटडी सूण्डा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 369, पुराना खाता संख्या 357, खसरा संख्या 11, व खाता संख्या नया 372, पुराना खाता संख्या 357, खसरा नं0 33, ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थी का नाम लटूर पुत्र डाल्या एवं लडडू पुत्र लाला के स्थान पर लटूरलाल पुत्र लालजी जाति गुर्जर निवासी बेवडिया दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां